

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

डी0म0 संख्या—06/2022
सी.आई.एस. संख्या—06/2022

11.06.2026

आवेदिका ललिता देवी कि ओर से यह परिवाद पत्र दाखिल किया गया। आवेदिका को कई अवसर देने के बाद भी सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित नहीं हुई। आवेदिका विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे यह दर्शित होता है कि आवेदिका को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिवादपत्र को अदम पैरवी में **खारिज** करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
दिनांक— 10.06.2026